।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।
पीठासीन अधिकारी : मातादीन शर्मा, आई.ए.एस.

अपील संख्या 04/2016

अपीलांट	बनाम	**रेस्पोडेंट**
अलादीन खाँ पुत्र आदम खाँ जाति मुसलमान निवासी साकड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.11.2015 जो तहसीलदार पोकरण द्वारा प्रकरण संख्या 9/2015 में पारित किया गया

उपस्थित :

1. श्री चन्द्राराम चौधरी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. श्री उम्मेद सिंह नारावत अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
3. पेरोकार राज प्रत्यर्थी की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक : 24 अप्रेल, 2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम साकड़ा के खसरा नम्बर 653 कुल रकबा 144 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पायतन में 5 बिस्वा भूमि पर पक्की ढाणी अतिक्रमण कर बनाने की हलका पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर तहसीलदार पोकरण द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 9/2015 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 दर्ज कर उसे नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया जिस पर उसके द्वारा पूर्व पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई पैमाइश अनुसार प्रश्नगत ढाणी उसके पिता के नाम दर्ज गैर मुमकिन ढाणी की भूमि में बताई जबकि वर्तमान पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक इसे नहीं मान रहे है। तहसीलदार पोकरण द्वारा पैमाइश दल का गठन किया गया जिसके मौका प्रतिवेदन अनुसार अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन निर्णय 20.11.2015 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध शास्ति रू. 7/– अधिरोपित की जाकर प्रश्नगत भूमि से बेदखली के निर्देश जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय अपास्त करने का अनुरोध किया गया है। अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब को क्षम्य करने हेतु अपीलार्थी द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील समयावधि में शुमार करने की प्रार्थना की गई है।

प्रत्यर्थी की ओर से अपील के जबाब में प्रश्नगत अतिक्रमण ग्राम सांकड़ा के खसरा नम्बर 653 रकबा 144 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पायतन में 5 बिस्वा भूमि पर है जो नाड़ी व पायतन की गैर मुमकिन भूमि है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में उल्लेखित भूमि की परिधि में आने से अन्य उपयोग के लिये उपयोग हेतु प्रतिबंधित है। इसी आधार पर बेदखली आदेशित किया जाना प्रतिवेदित किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण दिनांक 04.02.2016 से 6–7 दिवस पूर्व हुई जिस पर प्रश्नगत निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त

कर अपील प्रस्तुत की गई। उनके द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षम्य करने का अनुरोध किया गया। पेरोकार राज ने इसका विरोध किया। न्यायहित में अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब का शमन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णीत करना युक्तियुक्त ठहराया गया।

गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया ग्राम सांकड़ा के खसरा नम्बर 653/2 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा अपीलार्थी के पिता आमद खां पुत्र अने खां निवासी सांकड़ा के नाम वाद संख्या 34/1977 अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित डिक्री निर्णय दिनांक 04.04.1978 द्वारा गैर मुमकिन ढाणी के रूप में दर्ज की है। जिसकी तरमीम कर दी गई। हलका पटवारी का कहना है कि मौके पर प्रकरण में प्रश्नगत ढाणी अभिलेख में दर्ज गैर मुमकिन ढाणी की सीमा से बाहर है, इसलिये धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। उनका आगे तर्क रहा कि सन् 2014 में तहकीकात में पैमाइश रिपोर्ट का अवलोकन किया जाए व उनका मन्तव्य अतिक्रमण का नहीं रहा है और अगर तरमीम से बाहर का प्रश्नगत रकबा है तो उपखण्ड अधिकारी पोकरण तरमीम की शुद्धि कर दें। पेरोकार राज का तर्क रहा कि अपीलार्थी के पिता आदम खां के नाम दर्ज गैर मुमकिन ढाणी खसरा नम्बर 653/2 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा है व प्रश्नगत अतिक्रमण उक्त रकबा में न होकर खसरा नम्बर 653 के रकबा में है जो गैर मुमकिन पायतन दर्ज होकर नाड़ी का क्षेत्र है। उन्होंने अपील अपीलार्थी खारिज करने का अनुरोध किया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं परिशीलन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया। जमाबंदी संवत् 2070–2073 ग्राम सांकड़ा में खसरा नम्बर 653 रकबा 144 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पायतन दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2072 में ग्राम सांकड़ा के खसरा नम्बर 653/1 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन कुआ व खसरा नम्बर 653/2 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी अपीलार्थी के पिता आमद खां पुत्र अने खां के नाम दर्ज है। हलका पटवारी की मौका रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम सांकड़ा के खसरा नम्बर 653 गैर मुमकिन पायतन की भूमि पर पक्की ढाणी बनाकर कर अतिक्रमण किया गया है।

उक्त विवेचन से अपीलार्थी द्वारा ग्राम सांकड़ा के खसरा नम्बर 653 की भूमि गैर मुमकिन पायतन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से पक्की ढ़ाणी बनाना प्रमाणित ठहरता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप / परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होने से अपील खारिज योग्य है। अतएव अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.11.2015 यथावत रखा जाता है। उभय पक्ष अपना – अपना व्यय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24 अप्रेल, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)